रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 1999/फाल्गुन 27, 1920
No. 137] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 1999/PHALGUNA 27, 1920

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1999

सा.का.नि. 213(अ) :—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 और 200 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाईन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 के अध्याय 4 के नियम 14 में :—

(क) शीर्षक में—''प्रमुख बत्ती (हैड लाइट) और चिह्न (मार्कर) बत्तियां'' शब्दों के स्थान पर ''प्रमुख बत्ती (हैड लाइट), चिह्न (मार्कर) बत्तियां तथा गति (स्पीडो मीटर)'' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप नियम 4, के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(5) यदि किसी खंड पर चल रहे इंजन की बिजली वाली प्रमुख बत्ती (हैड लाइट) खराब हो जाती है और परावर्ती किस्म के इंजीनियरिंग फिक्सड सिगनल की व्यवस्था की जाती है तो रात्रि या घने कोहरे वाले मौसम के दौरान जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बड़ी (ब्राड गेज) तथा मीटर (मीटर गेज) लाइन पर ड्राइवर सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाए तथा गाड़ी की गति ब्लाक खंड पर लगी अस्थायी गति सीमा या 40 किमी. प्रतिघंटा जो भी कम हो, से अधिक न रखें।

(6) यदि गतिमापी/रिकार्डर खराब हालत में हो तो कोचिंग ईंजन होम शेड से बाहर नहीं निकाले जाएं। यदि चालन के दौरान गतिमापी रिकार्डर खराब हो जाता है तो गाड़ी विशेष अनुदेशों द्वारा विहित गति पर चलाई जाए।

[सं. 98/सेफ्टी (ए एंड आर)/19/10]

3. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 के अध्याय 4 के नियम 16 में उप नियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ख) रात्रि में, घने कोहरे या तूफानी मौसम में जब दिन में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, रेलपथ पर बाधा को प्रदर्शित करने के लिए फ्लैशिंग अम्बर लाइट और अंतिम वाहन जांच युक्ति को दर्शाने के लिए अनुमोदित डिजाइन की एक लाल रोशनी वाली पिछली बत्ती (टेल लैम्प) या तो सीधी अथवा फ्लैशिंग लाल बत्ती जलाई जाएगी, अथवा''

[सं. 98/सेफ्टी (ए एंड आर)/19/2]

शांति नारायण, सदस्य यातायात और पदेन सचिव

टिप्पणी : मूल नियम 21-7-81 को सा. का. नि. सं. 445(ई) द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे।

(1) सा.का.नि. 320 दि. 16-4-83
(2) सा.का.नि. 352 दि. 30-4-83
(3) सा.का.नि. 514 (ई) दि. 27-6-83
(4) सा.का.नि. 476 (ई) दि. 28-6-84
(5) सा.का.नि. 245 दि. 23-5-92
(6) सा.का.नि. 83 दि. 17-2-96
(7) सा.का.नि. 101 दि. 23-5-98
(8) सा.का.नि. 47 दि. 13-2-99

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1999

G.S.R. 213(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60 read with section 198 and clause (a) of sub-section (2) of section 200 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in Chapter IV, in rule 14,—

(a) In the Heading—for the words "Head light and marker lights", the words "Head light, marker lights and speedometer" shall be substituted.

(b) After sub-rule 4, the following shall be inserted, namely :—

"(5) In case of defective electric head light of locomotive running in a section provided with reflective type of engineering fixed signal, during night or thick foggy weather impairing visibility, on BG and MG, the driver shall work the train cautiously at a speed not exceeding the severest temporary speed restriction imposed in the block section or 40 kmph, whichever is less.

(6) Coaching locos should not be turned out from home shed if the speedometers/recorders are in defective condition. In case of speedometer/recorder becoming defective during the run, the train should run at a speed prescribed by special instructions".

[No. 98/Safety (A&R)/19/10]

3. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in Chapter IV, in rule 16, in sub-rule (1) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) By night, as well as in thick, foggy or tempestuous weather impairing visibility during day, a red tail lamp of approved design displaying either a steady or flashing red light to indicate last vehicle check device and flashing amber light to exhibit obstruction on track shall be lit, or"

[No. 98/Safety (A&R)/19/2]

SHANTI NARAIN, Member Traffic,
and Ex-Officio Secy.

Note : The principal rules were notified vide No. GSR 445(E) dated the 21st July, 1981 and were subsequently amended vide No.

(1) GSR 320 dated the 16th April, 1983,
(2) GSR 352 dated the 30th April, 1983,
(3) GSR 514(E) dated the 27th June, 1983,
(4) GSR 476 (E) dated the 28th June, 1984,
(5) GSR 245 dated the 23rd May, 1992,
(6) GSR 83 dated the 17th February, 1996,
(7) GSR 101 dated the 23rd May, 1998, and
(8) GSR 47 dated the 13th February, 1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054